कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी कुशीनगर

पत्र संख्या–एफएस/नि0(स्कूल)/2025 दिनांक मार्च, 20, 2025

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
एम डी इण्टरनेशनल स्कूल,
बोदरवार, जनपद–कुशीनगर

विषय:– एम डी इण्टरनेशनल स्कूल, बोदरवार, जनपद–कुशीनगर स्कूल भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्नि/जीवरक्षा सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कराकर अग्निशमन प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में–

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक शून्य दिनांक: 12.03.2025

कृपया उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में एम डी इण्टरनेशनल स्कूल, बोदरवार, जनपद–कुशीनगर में अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्नि/जीवरक्षा सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

1.पहुँच मार्ग–उक्त स्कूल भवन तक अग्निशमन के वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन करते हुए अग्निशमन कार्य कर सकते है।

2.स्वचालित सिंक्लर पद्धति वांछित नही है

3.अग्निशमन कार्य हेतु पानी की स्थायी भूमिगत/टेरिस टैंक क्षमता 5000 ली0 तथा टेरिस पम्प 450 एल0पी0एम0 का वांछित है।

4.फर्स्ट एण्ड होजरील प्रत्येक तल पर जो टेरिस टैंक से डाउन कमर से जुड़ा हो वांछित है, जिसमें आवेदक द्वारा ब्यानहल्फी प्रस्तुत कर प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 90 दिवस के अन्दर पूर्ण करा लिये जाने का समय लिया गया है जो अन्यथा की स्थिति में निर्गत प्रमाण–पत्र स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

5.भारतीय मानक संस्थान की प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त प्राथमिक अग्निशामक उपकरण स्थापित किया जिसका टेस्टिंग फीस भारतीय स्टेट बैंक सुभाष चौक में रू 170/– जमा करा दिया गया है, जो कार्यशील दशा में है।

6.कम्पार्टमेशन वांछित नही है।

7.स्वचालित अग्निसूचक और चेतावनी पद्धति वांछित है।

8.निकास मार्ग के प्रदीप्त सकेंत चिन्ह पाये गये।

8.विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत के अन्तर्गत जनरेटर सेट पाया गया।

10.सम्पूर्ण स्कूल/भवन में पी0ए0 सिस्टम स्थापित किया गया है जो कार्यशील दशा में है

11.निकास की आवश्यकताए एव अग्नि से बचाव कार्य के मार्ग की व्यवस्था संतोषजनक पायी।

12.सम्पूर्ण भवन /स्कूल में 17 अदद स्टेयर केस स्थापित किये गये है

13.विद्यालय में उपस्थित कर्मचारियों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरण संचालित करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अत: उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील बनाये रखने तथा एन.बी.सी. 2005 तथा मानक संख्या 2190:1992 तथा उ0 प्र0 अग्नि निवारण व अग्निसुरक्षा नियमावली–2005 के नियम–4 में दिये गये निर्देशों का पालन करना तथा अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक का उत्तरदायित्व होगा की समय से नवीनीकरण कराने की शर्त पर अग्निशमन/जीवरक्षा व्यवस्था को अग्निसुरक्षा निर्गत प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है, जो निर्गत तिथि से एक (01) वर्ष तक वैध माना जायेगा। अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील होने की दशा में यह प्रमाण–पत्र स्वत: निरस्त माना जायेगा।

20/03/25
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कुशीनगर